संख्याः- /XIV-1/2007

प्रेषक,

डा0 रणवीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः-1 देहरादून दिनॉक20 सितम्बर, 2007

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष की अनुसूचित जाति उप योजना (जिला सेक्टर) के अर्न्तगत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 1953/ नियो0/जि0यो0/एस0सी0पी0/ 2007-08 दिनांक 24.8.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में सहकारिता विभाग के अर्न्तगत आयोजनागत पक्ष की अनुसूचित जाति उपयोजना (जिला सेक्टर) में कुल रूपया 24.73 लाख रूपये (रू0 चौबीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार निम्नाकिंत शर्तों के अधीन व्यय करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ट द्वारा तैयार की गयी वेबसाइट hptt://gov. ua.nic.in/socialwelfarempr. पर अनुसूचित जाति उपयोजना की मासिक प्रगति, योजनावार लाभान्वित लाभार्थियो की सूची तथा सामूहिक लाभ वाले कार्यकमो की सूची जनपदवार उपलब्ध करायें।

(2) राज्य गठन के उपरान्त वर्षवार माह मार्च की अनुसूचित जाति उपयोजना की प्रगति एवं योजनावार लाभान्वित लाभार्थियों की सूची/सामूहिक योजनाओं का वर्षवार /जनपदवार पूर्व विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय ।

(4) सभी कार्यकमों की वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण तत्काल किया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यो की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

(5) उक्त धनराशि केवल अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित सहकारी समितियों के उत्थान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना के अर्न्तगत जिला योजना में स्वीकृत परिव्यय के अनुसार व्यय किया जाय तथा ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नही है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी इसके

लिये समुचित रूप से जिम्मेदार होगा और उनसे अनाधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(6)उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह के अन्त में या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/ शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करे ।

(7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय वितरण सहित शासन/ महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय ।

2. प्रश्नगत मद में गत वित्तीय वर्ष में निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष किये गये कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र 15 दिनों के अन्दर शासन एवं महालेखाकार उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय।

3. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या –30 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता –आयोजनागत–107–क्रेडिट सहकारी समितियो को सहायता,108–अन्य सहकारी समितियो को सहायता, 800–अन्य व्यय एवं 6425–सहकारिता के लिये कर्ज –आयोजनागत –107–जमा सहकारी समितियों को कर्ज के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक /योजनाओं के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या–205(P)/वित्त अनुभाग–4 /2007 दिनांक 12.9.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

(डा0रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या:- 833 (1)/XIV-1/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड देहरादून।।
2–समस्त कोषाधिकारी/ जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।

3—निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोडा।
4— वित्त अनुभाग--4 /समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
5—निदेशक, एन0आई0सी0, राचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6— गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।

[illegible] अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत जिला योजना के आधार पर निर्धारित/उपलब्ध कराए गए [illegible] जिला योजना में जनपदों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु लेखा शीर्षकवार धनराशियों के आवंटन का विवरण

अनुदान संख्या–30

(धनराशि लाख रुपये में)

योजना/मद का नाम	नैनीताल	ऊधमसिंह नगर	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ़	चम्पावत	देहरादून	हरिद्वार	पौड़ी	टिहरी	चमोली	रुद्र प्रयाग	उत्तर काशी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2425–सहकारिता–आयोजनागत 107–केडिट सहकारी समितियों को सहायता 02–अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 0201–अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को अंश क्रय हेतु अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0.005	–	–	–	–	–	0.015	0.20	0.05	0.025	–	–	–	0.295
108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता 02–अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता	–	–	–	–	–	–	0.04	–	–	–	–	–	0.10	0.14
800–अन्य व्यय 02–अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1.33	1.35	1.05	1.87	–	2.12	1.38	1.60	4.40	0.74	3.27	2.15	2.76	24.02
योग–2425	1.335	1.35	1.05	1.87	–	2.12	1.435	1.80	4.45	0.765	3.27	2.15	2.86	24.455
6425 सहकारिता के लिये कर्ज–आयोजनागत 107–जमा सहकारी समिति4यों को कर्ज 02– अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 0202–समितियों के सदस्य बनाने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यों को ब्याज रहित ऋण 30–निवेश/ऋण	0.005	–	–	–	–	–	0.015	0.18	0.05	0.025	–	–	–	0.275
योग– 6425	0.005	–	–	–	–	–	0.015	0.18	0.05	0.025	–	–	–	0.275
महायोग–	1.34	1.35	1.05	1.87	–	2.12	1.45	1.98	4.50	0.79	3.27	2.15	2.86	24.73

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव